

कार्यालय- मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक - 1252

दिनांक- 16.04.2024

- संशोधित कार्यालय आदेश -

(रिमाण्ड कार्य/धारा 176 द.प्र.सं. ड्यूटी-अप्रैल, 2024)

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक : 996 दिनांक 28.03.2024 एवं आदेश क्रमांक : 1009 दिनांक 28.03.2024 द्वारा माह **अप्रैल, 2024** के राजकीय अवकाशों के दिन जयपुर महानगर-द्वितीय की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जिनमें जमानत, रिमाण्ड संबंधी कार्य, धारा 164 द.प्र.सं. के बयान, मृत्युकालिक कथन, धारा 176 द.प्र.सं. के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) हेतु जयपुर महानगर-द्वितीय के विभिन्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार जयपुर महानगर द्वितीय न्याय क्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के स्थानांतरण/पदस्थापन अन्यत्र किये जाने के कारण इस कार्यालय के उक्त दोनों पूर्व आदेशों को इस आदेश की सीमा तक अतिलिखित करते हुए माह **अप्रैल 2024** में निम्नांकित राजकीय अवकाशों के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य (जिनमें जमानत, रिमाण्ड संबंधी कार्य, धारा 164 द.प्र.सं. के बयान, मृत्युकालिक कथन, धारा 176 द.प्र.सं. के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) हेतु कॉलम सं. 03 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम नं. 04 में अंकित है, को अधिकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	दिनांक अवकाश	न्यायालय का नाम	नाम अधिकारी/मोबाईल न. (श्री/श्रीमती/सुश्री)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	17.04.2024	स्पे.एम.एम.(NI Act) क्रम-06, जयपुर महानगर-II	सुरेश कुमार सेन, 9950305140
2	21.04.2024	महानगर मजिस्ट्रेट (पश्चिम), जयपुर महानगर-II	कल्पना पारीक, 8114431841
3	27.04.2024	स्पे.एम.एम.(NI Act) क्रम-01, जयपुर महानगर-II	फैसल खान, 7822911111
4	28.04.2024	स्पे.एम.एम.(NI Act) क्रम-11, जयपुर महानगर-II	ललित मीना, 8280113991


नोट-(1) माह **अप्रैल, 2024** में उपरोक्तानुसार ड्यूटी हेतु अधिकृत अधिकारीगण में से किसी भी अधिकारी के अत्यावश्यक कारणों से अवकाश पर रहने पर/स्थानांतरण होने से पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने पर/पदस्थापित अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर/आकारिमिक रूप से अवकाश घोषित होने पर/माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा कार्य स्थगित किये जाने पर उक्त आवश्यक फौजदारी कार्य हेतु निम्नानुसार अधिकारीगण को रिजर्व रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत किया जाता है।

1	16.04.2024 से 30.04.2024 तक	स्पे.एम.एम.(NI Act) क्रम-07, जयपुर महानगर-II	गुरजोत सिंह, 9914925025
---	-----------------------------	--	-------------------------

नोट-(2) नोट सं.1 द्वारा उक्त ड्यूटी हेतु अधिकृत रिजर्व अधिकारीगण में से किसी अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में उस अधिकारी के आगामी क्रम पर अंकित अधिकारी उपरोक्त ड्यूटी कार्य सम्पादित करेंगे तथा अंतिम क्रम पर अंकित अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में क्रम 1 पर अंकित अधिकारी व उसके उपरांत पश्चातवर्ती अधिकारीगण के द्वारा इसी चक्रानुसार आवश्यक फौजदारी कार्यों को सम्पादित किया जावेगा।

नोट-(3) उक्त अवधि में आने वाले अवकाशों के दिन न्यायालय में बैठने का **समय प्रातः 09.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक** रहेगा। कॉलम सं. 4 में अंकित पीठासीन अधिकारी के द्वारा अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति/अनुमति चाहे जाने की स्थिति में वे अपने स्थान पर कार्य करने हेतु अन्य अधिकारी का सहमति पत्र इस कार्यालय में प्रेषित कर स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।


नोट-(4) राजकीय अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य के लिए अधिकृत अधिकारी के न्यायालय में बैठने के समय के अतिरिक्त भी उक्त ड्यूटी दिनांक के साथ-साथ आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक उक्त आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जावेगा।


 16.04.2024
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
 जयपुर महानगर द्वितीय

नोट-(5) अवकाशकालीन न्यायालय की बैठक हेतु निर्धारित समय के दौरान ही मुलजिम न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश किये जावेंगे। मुलजिम को न्यायालय में निर्धारित समय में पेश नहीं कर निवास पर पेश करने पर संबंधित पुलिस कार्मिक/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति पश्चात ही मुलजिम को अधिकारी के निवास पर पेश किया जावेगा। निवास पर पेश करते समय मुलजिम को सीधे निवास में प्रवेश न करवाकर बाहर रखा जावे एवं संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

नोट-(6) माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय के आदेश क्रमांक स्था0/2021/1603 दिनांक 07.04.2021 की अनुपालना में रिमाण्ड न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने न्यायालय के अधिकतम एक लिपिक ग्रेड-आ एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जावे, जिन्हें नियमानुसार सी.सी.एल. देय होगी। यदि रिमाण्ड ड्यूटी के समय कार्य की अधिकता रहती है तथा उपरोक्त एक लिपिक ग्रेड-आ व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सुचारु रूप से कार्य सम्पादन नहीं हो रहा हो तो पीठासीन अधिकारी रीडर अथवा आशुलिपिक में से किसी एक को अथवा दोनों को कार्य हेतु उपस्थित होने के लिए निर्देशित कर सकेंगे।

नोट-(7) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जयपुर महानगर-द्वितीय की सीमाओं के अधीन आने वाले आरक्षी केन्द्रों द्वारा विशिष्ट न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों में न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले अभियुक्त/अभियुक्तों के संबंध में भी नियमानुसार व विधिनुसार न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड की कार्यवाही अधिकृत अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट न्यायालय ही करेंगे।


16.04.2024
(पूनाराम गोदारा)


मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर-द्वितीय
जयपुर महानगर द्वितीय

क्रमांक - 1253 - 1264

दिनांक - 16.04.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर-द्वितीय।
2. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।
3. श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर-द्वितीय।
4. श्रीमान आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर महानगर,
5. पुलिस उपायुक्त पश्चिम/उत्तर/मुख्यालय/यातायात, जयपुर महानगर
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट/विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज), जयपुर महानगर-द्वितीय
7. सहायक निदेशक, अभियोजन द्वितीय, जयपुर
8. दी बार एसोसिएशन, बनीपार्क/कलेक्ट्रेट/चौमू/आमेर/बगरू, जयपुर
9. पुलिस कन्ट्रोल रूम, जयपुर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने हेतु
10. नोटिस बोर्ड/कार्यालय आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय को आदेश की प्रति प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर द्वितीय आदि को ई-मेल/मैसेज द्वारा उक्त संबंध में सूचित करें तथा इस आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
12. वरिष्ठ मुंसरिम, संस्थापन शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय


16.04.2024
(पूनाराम गोदारा)
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर-द्वितीय
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर द्वितीय